

पत्र क्र. पमरे/का.जबल/ईजी/947/ Re-Employment

सर्व संबंधित

पमरे/जबलपुर मंडल

अधिसूचना

रेलवे बोर्ड द्वारा पत्र क्र. E(NG)II/2010/RC-4/6 दिनांक 14.09.2017 (RBE No. 128/2017) एवं E(NG)II/2007/RC-4/CORE/1 दिनांक 16.10.2017 (RBE No. 150/2017) के अंतर्गत विभिन्न कोटियों में सेवानिवृत्त हुए रेल कर्मचारियों को पुनर्नियोजित करने के प्रावधान जारी किये हुए हैं। जिसमें रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. E(NG)II/2007/RC-4/1 दिनांक 12.12.2017 (RBE No. 193/2017) के अनुसार अधिकतम आयु सीमा को 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष एवं तिथि के लिए वैधता का विस्तार दिनांक 01.12.2019 तक करने का निर्णय लिया गया है।

अ) आवेदन हेतु शर्तें:-

1. पुनः नियोजित स्टॉफ को संरक्षा संबंधी सेवा निवृत्त योजना (LARSGESS) के अधीन सेवा निवृत्त नहीं होना चाहिए।
2. कर्मचारी का पुनः नियोजन चिकित्सीय सक्षमता परीक्षा के बाद निर्णित होगा। (IRMM Para 588 के अनुसार आवश्यकता होने पर चिकित्सीय जाँच हेतु भेजा जावेगा।)
3. पुनःनियोजन हेतु सेवानिवृत्त कर्मचारी की उपयुक्तता उनके सेवा रिकार्ड के आधार पर जाँची जावेगी।
4. पुनः नियोजन अधिकतम आयु सीमा 65 वर्ष तक किया जावेगा।
5. पुनः नियोजन सक्षम अधिकारी की अनुमति से बिना किसी नोटिस के समाप्त किया जा सकता है।
6. जबलपुर मंडल से सेवा निवृत्त कर्मचारियों को मंडल की कार्यशैली से परिचित होने के कारण प्राथमिकता दी जावेगी।
7. दिनांक 30.11.2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी सेवानिवृत्ति से पूर्व आवेदन दे सकते हैं।
8. पुनःनियोजित किए गए सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पालियों में भी कार्य करना पड़ेगा जिसके लिए उन्हें किसी भी प्रकार का रात्रिकालीन कार्य भत्ता नहीं दिया जायेगा।
9. रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. एफ(ई)।/2015/एएल-28/58 दिनांक 16.03.2017 (आरबीई सं. 24/2017) के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को जब परियोजना/फील्ड कार्यों के लिए स्टेशन/मुख्यालय से ड्यूटी पर बाहर भेजा जाता है, तो उन्हें वेतन/धारित पद के तदनुसारी दैनिक भत्ते दर के 60 प्रतिशत की दर पर टीए/डीए का भुगतान उनके जेब खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा।
10. पुनः नियोजन योजना दिनांक 01.12.2019 तक वैध है।
11. रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा चयनित उम्मीदवारों के प्राप्त होने के पश्चात पुनःनियोजित किये गये कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से डिस्चार्ज किया जायेगा।

ब) पुनः नियोजित कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक वेतन निर्धारण इस प्रकार होगा (RBE No. 150/2017) :- पुनः नियोजित किए जाने वाले कर्मचारी के मासिक पारिश्रमिक वेतन की गणना उसके/सेवानिवृत्त कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन +डीए) से पेंशन कम करके निर्धारित की जायेगी।

इच्छुक सेवानिवृत्त कर्मचारी/दिनांक 30.11.2019 तक सेवा निवृत्त होने वाले कर्मचारी अपना आवेदन ईजी (कार्मिक) अनुभाग, मं.रे.प्रबं. कार्यालय, जबलपुर में जमा कर सकते हैं।

सभी शाखाधिकारियों एवं सभी डिपो सुपरवाइजरों से अनुरोध है कि उपरोक्त योजना का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करें तथा अधिनस्थ कार्यरत इच्छुक कर्मचारी जो कि 30.11.2019 तक सेवानिवृत्त होने वाले हैं उनके आवेदन प्राप्त कर मं.रे.प्रबं. (कार्मिक) को अग्रेषित करें।

अधिसूचना हेतु एक छोटा विज्ञापन अखबार में जारी किया गया है तथा इसकी विस्तृत सूचना पमरे की वेबसाइट पर दी गयी है।

संलग्न :- आवेदन का प्रारूप एवं घोषणा पत्र (02)।

(राजेश कुमार शर्मा)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते मं.रे.प्र.(का).जबलपुर

प्रति :- प्रमुख मुख्य कार्मिक अधिकारी पमरे, जबलपुर को सूचनार्थ।

प्रति :- मं.रे.प्र./अ.मं.रे.प्रबं. जबलपुर को सादर सूचनार्थ।

प्रति :- वरि.मं.सं.दू.सं.अभि. जबलपुर को सूचनार्थ। कृपया वेबसाइट में अधिसूचना जारी करने हेतु।

प्रति :- वे.से.रे.ई.यू./वे.से.रे.म.सं./एस.सी.-एस.टी./ओ.बी.सी. एसो जबलपुर को सूचनार्थ।

आवेदन का प्रारूप

हाल ही का खिचा
गया फोटो (तीन
माह से पुराना न
हो)

1. वर्तमान में कर्मचारी सेवानिवृत्त है (हाँ/नहीं):.....
2. कर्मचारी का नाम :.....
3. पिता का नाम :.....
4. पदनाम :.....
5. विभाग :.....
6. भविष्य निधि क्र./टिकट न. :.....
7. स्टेशन :.....
8. वेतनमान :.....
9. वेतन :.....
10. जन्म तिथि :.....
11. भर्ती तिथि :.....
12. शैक्षणिक योग्यता :.....
13. स्थायी पता :.....
14. जाति(सामा.,अजा.,अजजा,अपिव.):.....
15. सेवा निवृत्ति की तिथि :.....
16. पी.पी.ओ. नम्बर :.....
17. कुल सेवा काल :.....
18. 65 वर्ष पूर्ण करने की तिथि:.....
19. पैन कार्ड नम्बर :.....
20. आधार कार्ड नम्बर :.....
21. मोबाईल नम्बर :.....

कर्मचारी के हस्ताक्षर	बायें अंगुठे का निशान

नोट :- पी.पी.ओ. एवं सेवा प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करें।

घोषणा पत्र

विषय :-सेवानिवृत्त रेल कर्मचारियों को दैनिक वेतन के आधार पर रेल सेवा में पुनर्नियोजित करने बाबत ।

मैं.....एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि दैनिक पारिश्रमिक आधार पर पुनः नियुक्ति पर निम्नलिखित शर्तों और नियमों का पालन करूंगा :

1. पुनः नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु 65 वर्ष है। मैं दिनांक को 65 वर्ष पूरा कर लूंगा और इस तिथि के बाद सेवा जारी रखने के लिए कोई दावा प्रस्तुत नहीं करूंगा।
2. बिना कारण बताये किसी भी समय रेलवे यह व्यवस्था समाप्त कर सकती है या यदि पुनः नियुक्त कर्मचारी मानसिक या शारीरिक रूप से विकलांग पाया जाता है।
3. पुनः नियुक्त कर्मचारी प्रशासनिक कार्य जैसे कर्मचारी की छुट्टी की स्वीकृति का कार्य नहीं करेगा।
4. पुनः नियुक्त कर्मचारी के पास कोई वित्तीय शक्ति नहीं होगी।
5. पुनः नियुक्त कर्मचारी के लिए कार्य समय नियमित कर्मचारी के जैसे (एच.ओ.ई.आर. अंतर्गत अनुबद्ध) विश्राम अवधि सहित होगा।
6. पुनः नियोजित कर्मचारी का मासिक पारिश्रमिक वेतन निर्धारण इस प्रकार होगा (RBE No. 150/2017) :-पुनः नियोजित किए जाने वाले कर्मचारी के मासिक पारिश्रमिक वेतन की गणना उसके/सेवानिवृत्त कर्मचारी के अंतिम आहरित वेतन (मूल वेतन + डीए) से पेंशन कम करके निर्धारित की जायेगी।
7. रेलवे बोर्ड के पत्र क्र. एफ(ई)।/2015/एएल-28/58 दिनांक 16.03.2017(आरबीई सं. 24/2017) के अनुसार सेवानिवृत्ति के पश्चात पुनर्नियोजित सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारियों को जब परियोजना/फील्ड कार्यों के लिए स्टेशन/मुख्यालय से ड्यूटी पर बाहर भेजा जाता है, तो उन्हें वेतन/धारित पद के तदनुरूपी दैनिक भत्ते दर के 60 प्रतिशत की दर पर टीए/डीए का भुगतान उनके जेब खर्च को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

मेरा अंतिम आहरित वेतन रूपया.....था और वर्तमान में मैं मासिक पेंशन रूपया.....पा रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि दैनिक भत्ता और पूरी पेंशन अंतिम आहरित वेतन से अधिक नहीं होगा।

प्रार्थी

हस्ताक्षर:-

नाम:-

मोबाईल नम्बर:-

पता:-